न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 153/2019 अपील (GCMS/2019/00177)
पंजीयन दिनांक - 28.11.2019
निर्णय दिनांक - 24.08.2021

1. श्री ख्यालीलाल पिता श्री भैरा सुथार, निवासी झाडोल, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-06/2018, बउनवानी श्री ख्यालीलाल बनाम तहसीलदार, झाडोल में न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-06/2018, बउनवानी श्री ख्यालीलाल बनाम तहसीलदार, झाडोल में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 28.11.2019 को दर्ज की गई।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- रिपोर्ट पटवारी हल्का झाडोल अनुसार श्री ख्यालीलाल पिता भेरा सुथार निवासी झाडोल ने संवत् 2070 में मौजा झाडोल की आराजी संख्या-1193 रकबा 0.0540 है. किस्म भूमि चरागाह पर निर्माण कर अतिक्रमण किया है व वर्तमान संवत 2075 में भी अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, झाडोल द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 08.06.2018 को पारित किया कि ''**चुंकि चरागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं पशुओं की चराई की भूमि है। तथा अतिक्रमी/नाजायज कब्जाधारी को कोई अधिकार किसी हालत में प्राप्त नहीं होते। उपरोक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की चरागाह की भूमि है तथा उस पर कब्जा विशुद्ध रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी श्री ख्यालीलाल पिता**

श्री भेरा सुथार निवासी झाडोल को मौजा झाडोल की आराजी संख्या 1193 रकबा 0.0540 है. किस्म भूमि चरागाह का अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इससे भली भांति साबित होता है कि अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करता है। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की प्रवृति से चरागाह सिकुड रहे है तथा गाये/पशुधन भुखे मरने के लिए मजबूर है। इस प्रकार पशुओं की चराई की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सुरत में न्यायोजित नहीं होकर एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है जो किसी भी सुरत मे क्षमा करने योग्य नहीं है।

अतः ग्राम झाडोल के आराजी संख्या 1193 रकबा 0.0540 है. किस्म भूमि चरागाह पर अतिक्रमण की स्थिति में अतिक्रमी श्री ख्यालीलाल पिता भेरा सुथार, निवासी झाडोल को 3 महिने के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है एवं वार्षिक लगान 0.18 रूपये का 50 गुणा की शास्ति अधिरोपित कर भू-अभिलेख निरीक्षक झाडोल एवं पटवारी हल्का झाडोल को आदेश दिया जाता है कि मौके से अतिक्रमी को ग्राम पंचायत के रूबरू भौतिक रूप से बेदखल कर मौके पर किये गये अतिक्रमण को जब्त सरकार लेकर मौका पर्चा एवं सिपुर्दगी नामा पेश करे एवं अतिक्रमण मुक्त भूमि को ग्राम पंचायत झाडोल को सिपूर्द कर टीआरए कार्यालय हाजा का बाद मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जायें।''

- तहसीलदार, झाड़ोल के निर्णय दिनांक 08.06.2018 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 05.07.2018 को पारित किया कि ''**प्रकरण ग्राम झाडोल तहसील झाडोल की आराजी संख्या 1193 किस्म चारागाह में 0.0450 है. पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से सम्बन्धित है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किये गये रेकर्ड में उपबल्ध बयान गवाह से स्पष्ट है कि पूर्व में भी संवत् 2070 में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसे पूर्व में बेदखल किया गया था एवं वर्तमान में भी अपीलान्ट द्वारा आराजी संख्या 1193 किस्म चारागाह में 0.0450 है. भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमण करने का आदि है एवं अतिक्रमण से आम लोगों में रोष व्याप्त है। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(3)राज-6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 में यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011/SLP(C)No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चरागाह भूमियों/जोहड़-पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) के अधीन दिनांक 05.08.2009 को अपीलान्ट के पक्ष में जारी आवासीय भूमि के पट्टे की प्रति न्यायालय के समक्ष पेश की है। ग्राम पंचायत मात्र आबादी भूमि का पट्टा जारी करने हेतु ही सक्षम है, न की चारागाह भूमि पर। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास उपलब्ध पट्टे की प्रति में ग्राम पंचायत द्वारा चारागाह भूमि का पट्टा जारी किया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के क्रम में तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत जारी किया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।**

  अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार झाडोल को निर्देश प्रदान किये जाते है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वर्णित आराजीयात की चारागाह भूमि पर अन्य अतिक्रमण होना

भी जाहिर किया है, अतः ऐसे अतिक्रमियों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें एवं भविष्य में भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।''

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष दिनांक 09.07.2018 को ससमय पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 28.11.2019 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मंगवाये गये। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.08.2021 को सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.07. 2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी मय दस्तावेज पेश किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट ने मौके पर से अपना अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटा लिया है जिसकी पटवारी हल्का की रिपोर्ट अपील के साथ जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. संलग्न है। ग्राम पंचायत झाडोल द्वारा दिनांक 05.08.2009 को पट्टा दिया गया तथा मौके पर निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जारी सो अपीलान्ट कच्चा पत्थर का कोट व दिवाल बनाकर मवेशील बांधने के काम में लिया लेकिन गांव की आबादी की भूमि व उक्त चारागाह का आराजी पास पास स्थित है इसलिये अपीलान्ट ने कच्चा निर्माण किया था वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि व आबादी वाली भूमि पास पास होने से मौके पर नपती करने पर ही वास्तविकता का पता चल पायेगा। यह तथ्य अधीनस्थ प्रथम न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना जवाब व दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया जाता तो सारी स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती लेकिन अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया, इस वजह से अपीलान्ट न्याय से महरूम हो गया। अपीलान्ट ने जानबुझ कर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे की वजह से अपीलान्ट ने कब्जा किया इसलिए अपीलान्ट के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना न्याय संगत होगा। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त कर अपीलान्ट को दोषमुक्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर बेदखली की कार्यवाही की गई थी। अपीलार्थी अतिक्रमी प्रवृति है। अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिस पट्टे के बारे में कथन किया जा रहा है, वह माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब व अन्य में पारित निर्णय 28.01.2011 के परिपेक्ष्य में अवैध है। ग्राम पंचायत मात्र आबादी भूमि का पट्टा जारी करने हेतु ही सक्षम है, न की चारागाह भूमि पर। माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के क्रम में तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश एवं उस आदेश को यथावत रखने का अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.07.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी मय दस्तावेज पेश किया जिस पर हम सर्वप्रथम विवेचन किया जाना उचित समझते है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, झाडोल द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08. 06.2018 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा की गई पालना रिपोर्ट, मौका पर्चा इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी की गई प्रमाणित प्रतियां एवं फोटोप्रतियां है, हस्तगत प्रकरण में निर्णय प्रतिपादित किये जाने में सहायक होगे, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्री ख्यालीलाल पिता भेरा सुथार निवासी झाडोल ने संवत् 2070 में मौजा झाडोल की आराजी संख्या-1193 रकबा 0.0540 है. किस्म भूमि चरागाह पर निर्माण कर अतिक्रमण किया है व वर्तमान संवत 2075 में भी अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, झाडोल द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 08.06.2018 को पारित कर ग्राम झाडोल के आराजी संख्या 1193 रकबा 0. 0540 है. किस्म भूमि चरागाह पर अतिक्रमण की स्थिति में अतिक्रमी श्री ख्यालीलाल पिता भेरा सुथार, निवासी झाडोल को 3 महिने के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया और शास्ति आरोपित की एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निरस्त की जाकर तहसीलदार, झाडोल का निर्णय यथावत रखा। जिसके फलस्वरूप हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

जैसा की उपरोक्त पेरा में वर्णित किया गया है, अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी के साथ तहसीलदार, झाडोल द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.06.2018 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा की गई पालना रिपोर्ट, मौका पर्चा इत्यादि प्रस्तुत किये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.07.2018 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मौके से अतिक्रमण हटा लिया है और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह कथन किये गये कि अपीलान्ट ने जानबुझ कर कोई अतिक्रमण नही किया है बल्कि पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे की वजह से अपीलान्ट ने कब्जा किया इसलिए अपीलान्ट के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना न्याय संगत होगा। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलार्थी को अतिक्रमण किये जाने के कारण पूर्व में भी दो बार बेदखल किया जा चुका है, परन्तु उसके द्वारा बार-बार अतिक्रमण किया जा रहा है। तहसीलदार, झाड़ोल द्वारा अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने बाबत समय दिये जाने उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ऐसे अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार बेदखली की ही कार्यवाही की जाती है। अपने कथनों के समर्थन में अपीलार्थी न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कोई प्रभावी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है, जबकि उसे पर्याप्त सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में राजस्व ग्रुप-6 विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 17.04.2013 में वर्णित विधिक स्थिति, जो इस प्रकरण में लागु होती है, का भी समर्थन करते है।

अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5(44) के अनुसार अतिक्रमी है, जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत अपीलार्थी को बेदखल करने का जो निर्णय प्रदान किया है, वह विधि सम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा तहसीलदार के निर्णय को यथावत रख कर उचित निर्णय प्रदान किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर